रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

28/1/72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 212] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November 1971

G.S.R. 1788.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub-clause (1) of clause (b) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Majumdar, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food), New Delhi, as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India, vice Shri R. Balasubramanian, resigned, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, under the heading "Directors appointed under section 7(1)(b)", for the entry against item (2), the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri A. K. Majumdar, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food), New Delhi.".

[No. F. 4-5/71-FCC.]

G. C. N. CHAHAL, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1788.—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा, (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के साथ पठित, उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) नई दिल्ली में संयुक्त सचिव श्री ए० के० मजुमदार को, श्री आर० बालसुब्रमण्यम्, जिसने अपने पद का त्याग कर दिया है के स्थान पर, भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड का निदेशक एतद्द्वारा नियुक्त करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 7(1) (ख) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशक' 'शीर्षक के नीचे, मद (2) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात :—

"श्री ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) नई दिल्ली ।"

[सं० फा० 4-5/71-एफ सी सी]

जी० सी० एन० चहल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971